

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जून, 2018-ज्येष्ठ 25, शके 1940

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### याचिका की सूचना

[ कम्पनी ( समझौते ठहराव एवम् समामेलन ) नियम, 2016 के नियम-16 के अन्तर्गत ]

प्रकरण क्रमांक 24/1/2018-सी.एल-III

भारत शासन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, नई दिल्ली

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 एवं उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा प्रचलित अधिसूचनाएं एवं परिपत्रों के अंतर्गत मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड, मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड, मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड, मध्यप्रदेश केंद्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड, मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड, मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड तथा और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ग्वालियर) मध्यप्रदेश लिमिटेड (उक्त सभी कंपनियों को हस्तांतरणकर्ता कंपनी के नाम से संबोधित किया जा रहा है) एवम् मध्यप्रदेश ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट फ़ैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (जिसे हस्तांतरित कंपनी के नाम से संबोधित किया जा रहा है) तथा इनसे संबंधित अंशधारकों एवम् लेनदारों के व्यवस्थापन एवम् समामेलन की योजना की स्वीकृति के संबंध में।

यह की कंपनी अधिनियम की धारा 230-232 एवं भारत शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक GSR 582 (E) दिनांक 13-6-2017 के अंतर्गत उपरोक्त हस्तांतरणकर्ता कंपनियों एवं हस्तांतरित कंपनी के द्वारा भारत शासन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, नई दिल्ली के समक्ष इन कंपनियों के तथा इनसे संबंधित अंशधारकों एवं लेनदारों के व्यवस्थापन एवम् समामेलन की योजना की स्वीकृति के संबंध में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 1/6/2018 को की गई सुनवाई के उपरांत आवेदनकर्ताओं को व्यवस्थापन एवं समामेलन स्वीकृति से संबंधित याचिका की सुनवाई के संबंध में सूचना पत्र के प्रकाशन हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत व्यवस्थापन एवं समामेलन की स्वीकृति से संबंधित याचिका पर सुनवाई शुक्रवार दिनांक 06/07/2018 अपराह्न 3:00 बजे संयुक्त सचिव, भारत शासन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, शास्त्री भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली, 110001 के समक्ष नियत की गई है।

यदि कोई व्यक्ति उक्त याचिका के पक्ष में, समर्थन अथवा विरोध में कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो उसकी सूचना याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को स्वयं अथवा अपने अधिभाषक के माध्यम से अपना नाम एवं पता सूचित करते हुए याचिका की सुनवाई के सात दिन पूर्व

प्रस्तुत कर सकता है. आपत्ति की दशा में उक्त सूचना पत्र के साथ आपत्ति के आधार अथवा शपथ पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की जाना चाहिए. याचिका की प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त की जा सकती है.

इन्दौर दिनांक: 07-06-2018

(193-बी.)

## NOTICE OF PETITION

**[UNDER RULE 16 OF THE COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATION) RULES, 2016]**

Case No. 24/1/2018-CL-III

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI**

In the matter of Scheme of Amalgamation provides for the amalgamation of MADHYA PRADESH AUDYOGIK KENDRA VIKAS NIGAM (INDORE) LIMITED, MADHYA PRADESH AUDYOGIK KENDRA VIKAS NIGAM (JABALPUR) LIMITED, MADHYA PRADESH AUDYOGIK KENDRA VIKAS NIGAM (UJJAIN) LIMITED, MADHYA PRADESH AUDYOGIK KENDRA VIKAS NIGAM (REWA) LIMITED, MADHYA PRADESH AUDYOGIK KENDRA VIKAS NIGAM (SAGAR) LIMITED, MADHYA PRADESH AUDYOGIK KENDRA VIKAS NIGAM (BHOPAL) LIMITED and INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION (GWALIOR) M.P. LIMITED (all these Companies have been hereinafter collectively referred to as the Transferor Companies) with MADHYA PRADESH TRADE AND INVESTMENT FACILITATION CORPORATION LIMITED (herein after referred to as the Transferee Company) under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Company Act, 2013 and applicable circulars and notifications issued by Government of India from time to time in this regard.

An application under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 read with Government of India Notification No. GSR.582 (E) dated 13.06.2017 in the matter of Scheme of Arrangements and Amalgamation amongst above named Transferor Companies and the Transferee Company and respective the Shareholders and Creditors of these companies was presented before the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi 110001. Upon hearing on the application on 1st June, 2018, the Applicants have been directed to publish a notice of hearing of the Petition for confirmation/sanction of Scheme of Arrangements and Amalgamation.

Accordingly, take the notice of hearing on the petition for sanction of the Scheme of Arrangements and Amalgamation amongst above named Transferor Companies and the Transferee Company and respective the Shareholders and Creditors of these companies on FRIDAY 6th July, 2018 at 3:00 PM before the Joint Secretary, Government of India, Ministry of Corporate Affairs, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Marg, New Delhi 110001.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the petitioner's advocate, a notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than seven days before the date fixed for the hearing of the petition. Where any person seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Indore, Date 07-06-2018

**MANOJ MUNSHI,**

(Advocate)

M. Munshi & Associates

Advocate & Solicitors,

304-306, Navneet Plaza 5/2, Old Palasia,  
Indore-452018.

(193-A-B.)

**CHANGE OF NAME**

I Banti Singh Chhabra S/o Pritam Singh Chhabra here by declare that I have change my name as Harmeet Singh Chhabra S/o Pritam Singh Chhabra so from now and in future I will be Known by my new name.

Old Name:  
( **BANTI SINGH CHHABRA** )

(178-B.)

New Name :  
( **HARMEET SINGH CHHABRA** )  
S/o Pritam Singh Chhabra,  
Add :- 54, Palsikar Colony, Manik Bagh ,  
Road, Indore (M.P.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कमल किशोर खरे, स्व. पिता श्री बाबू लाल खरे, उम्र-58 वर्ष निवासी आवास क्र. E-252 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल कालोनी, बिरसिंहपुर, तह. पाली, जिला-उमरिया (मध्यप्रदेश) जो कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड/ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल में कार्यालय सहायक श्रेणी-दो के पद पर कार्यरत हैं जिनकी सरकारी दस्तावेज में कमल किशोर वल्द बी.एल. वर्मा (बाबू लाल वर्मा) जन्मतिथि दिनांक 01-01-1960 (एक जनवरी उन्नीस सौ साठ) अंकित व दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम कमल किशोर खरे, स्व. पिता श्री बाबू लाल खरे, जन्मतिथि दिनांक 10-01-1960 (दस जनवरी उन्नीस सौ साठ) जो कि मेरे व्यक्तिगत दस्तावेज एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सच व सही है, जो कि सूचना प्रकाशन दिनांक से सही नाम एवं जन्म दिनांक लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :  
( **कमल किशोर** )  
वल्द बी.एल. वर्मा (बाबू लाल वर्मा)  
(179-बी.)

नया नाम :  
( **कमल किशोर खरे** )  
वल्द स्व. बाबू लाल खरे.

**CHANGE OF SURNAME**

I Lokendra Patel S/o Suresh Chandra Patel hereby inform that I had change my surname From Lokendra Patidar to Lokendra Patel and have been Know by the name of Lokendra Patel in all records writing and deeds, educational records and in all transaction as well as upon all occasions whatsoever.

Old Name:  
( **LOKENDRA PATIDAR** )  
(180-बी.)

New Name :  
( **LOKENDRA PATEL** )

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रिचा खुराना पत्नि श्री अशोक खुराना, निवासी डोहर मोहल्ला गंज सीहोर म.प्र. उम्र 23 वर्ष की निवासी हूँ. और घोषणा करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम राजमणि दैभैया था परन्तु मेरे विवाह होने के पश्चात अब मेरा नाम रिचा खुराना हो गया है अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अब मुझे रिचा खुराना के नाम से ही जाना जावे एवं समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रिचा खुराना के नाम से ही इंगित किया जावे.

पुराना नाम :  
( **राजमणि दैभैया** )  
(181-बी.)

नया नाम :  
( **रिचा खुराना** )

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे पूर्व में राकेश बाबू शर्मा पुत्र भानुदत्त शर्मा के नाम से जाना जाता था. अब से मुझे राकेश शर्मा पिता भानुदत्त शर्मा के नाम से सभी सरकारी गैर सरकारी में जाना जावेगा.

पुराना नाम :  
( **राकेश बाबू शर्मा** )  
(182-बी.)

नया नाम :  
( **राकेश शर्मा** )  
पिता-भानुदत्त शर्मा,  
एम-वीणा नगर, इन्दौर.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह के पूर्व का नाम अंजना शर्मा था, विवाह के पश्चात् सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार मेरा नया नाम श्रीमती अंजू शर्मा हो गया है. मेरे बीमा पॉलिसी में मेरा नाम अंजना शर्मा अंकित है तथा मेरे विवाह पूर्व के सभी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड बैंक की पास बुक इत्यादि में मेरा नाम अंजू शर्मा है. अतः राजपत्र प्रकाशन के पश्चात् से मेरा नाम श्रीमती अंजू शर्मा एवं अंजना शर्मा एक ही व्यक्ति के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाये तथा सभी दस्तावेजों शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों में लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

( अंजना शर्मा )

(183-बी.)

नया नाम :

( अंजू शर्मा )

एच-10, ठाटीपुर कालोनी,  
जिला, ग्वालियर ( म.प्र. ).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम राममूर्ति से बदलकर नया नाम आरती रख लिया है. अतः अब भविष्य में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम आरती से ही जाना एवं पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :

( राममूर्ति )

(184-बी.)

नया नाम :

( आरती )

पत्नि श्री देवेन्द्र,  
निवासी-विवेकानन्द कॉलोनी,  
वार्ड नं-2, शिवपुरी ( म.प्र. ).**CHANGE OF SUR NAME**

I Mayur Gajbhiye S/o Smt. Sheela Gajbhiye, 21 Years age, R/o- MIG-52, Maa Parwatinagar, Bhopal M.P. declare following that i write my name mayur gajbhiye, I want to change my name from Mayur Gajbhiye, to Mayur Lonare after today. I will be called and identified as Mayur Lonare S/o Sheela Gajbhiye.

Old Name:

( MAYUR GAJBHIYE )

(185-बी.)

New Name :

( MAYUR LONARE )

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आशीष परनामी पिता स्व. श्री प्रकाशचंद्र परनामी आयु 38 वर्ष, पता 6, महावीर मार्ग खातेगाँव, जिला देवास मध्यप्रदेश यह बयान करता हूँ कि मैंने अपने परनामी उपनाम को परिवर्तित कर गुप्ता कर लिया है अब से मुझे आशीष गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

( आशीष परनामी )

(186-बी.)

नया नाम :

( आशीष गुप्ता )

**नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मैं पियूषी शर्मा पुत्र श्री पवित्र कुमार शर्मा, निवासी-Q-5, साईट नं.01 सिटी सेन्टर ग्वालियर ( म.प्र. ) के अवयस्क पुत्र मानोत्र चतुर्वेदी पुत्र श्री मयंक चतुर्वेदी ने वर्ष 2017 में पासपोर्ट कार्यालय भोपाल ( म.प्र. ) से पासपोर्ट क्रमांक P5521145 जारी दिनांक 12.01.2017 बनवाया था किन्तु वर्तमान में मेरे पति से मेरा तलाक हो चुका है. मेरा अवयस्क पुत्र मेरे साथ में निवास कर रहा है. मैंने अपने पुत्र का नाम मानोत्र चतुर्वेदी के स्थान पर विवान शर्मा रख लिया है. अतः भविष्य में उसे MAANOTR CHATURVEDI के स्थान पर VIVAAN SHARMA के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पियूषी शर्मा,

निवासी-Q-5, साईट नं.01, सिटी सेन्टर,  
ग्वालियर ( म.प्र. ).

(190-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s JAINWIN TRADING CORPORATION, पता 19/ Mangalwara Jain Mandir Bhopal (M.P.) पं.क्र. 0535/17, दिनांक 22-03-2017 की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं (1) Plotus Coaltrans Private Limited (Cin-U74999MP2017PTC042808) A Company Incorporated Under The Companies Act 2013 And Having its Registered Office At HB-66 Old Subhash Nagar JU LIG Abhiruchi parisar, Govindpura, Bhopal (M.P.) 462001 Acting Through Its Director Shri Burhanddin S/o Late Shri Yousuf Ali, Adult R/o 6, Aliganj, Near Jumerati Post Office Bhopal (M.P.) (Hereinafter Called Third Party) दिनांक 20-02-2017 से भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए. (1) PLOTUS TRADELINK PRIVATE LIMITED (CIN-U74999MP2017PTC042893) A Company Incorporated Under The Companies Act 2013 And Having Its Registered Office At HB-66 Old Subhash Nagar JU LIG Abhiruchi Parisar, Govindpura, Bhopal (M.P.) 462001 Acting Through Its Director Shri Swadeep Sharma S/o Late Shri R.B. Sharma, Adult R/o 111, Leeladhar Colony, Bhanpur Road, Bhopal (M.P.) (Hereinafter Called Third Party) दिनांक 20-02-2017 से भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए.

M/s. JAINWIN TRADING CORPORATION,  
**BURHANUDDIN,**  
(Partner)

(187-B.)

19, Mangalwara Jain Mandir, Bhopal (M.P.)

**जाहिर सूचना**

खुमानी स्टील प्रा. लि. रजिस्टर्ड ऑफिस:- 36ई, सेक्टर सी सांवर रोड, इन्दौर (म.प्र.) सिन-U 27106 M.P.1995 RTC 009107 इकरामुददीन खुमानी विरुद्ध कम्पनी रजिस्ट्रार ग्वालियर के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 252 (3) के संबंध में कम्पनी पिटीशन संख्या 83/252/ NCLT/AHM/2017 के तहत कम्पनी का नाम परिवर्तित करने के बारे में यह सूचित किया जाता है. के माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधीकरण अहमदाबाद पीठ ने कम्पनी अपील क्रमांक 83/252/र.क.वी.न्याय अहमदाबाद / 2017 में आदेश दिनांक 30/01/2018 द्वारा खुमानी स्टील पी.वी.टी. एल.टी.डी. कम्पनी को कम्पनियों के रजिस्ट्रार में पुनः स्थापना के लिए निर्देशित किया है. माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधीकरण अहमदाबाद पीठ के उक्त आदेश अनुसार कम्पनी जिसका नाम खुमानी स्टील पी.वी.टी. एल.टी.डी. को कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार म.प्र. द्वारा कम्पनियों के रजिस्ट्रार में पुनः स्थापित कर दिया गया है.

For-Khumani Steel Pvt.Ltd.,

**बिलकीस (Director)**

बोर्ड की ओर से खुमानी स्टील पी.वी.टी.एल.टी.डी.

**S/D इकराम उददीन खुमानी,**

संचालक.

(188-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नरेश कटारे कॉन्टेक्टर जो कि सिंहपुर रोड मुरार, ग्वालियर में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00007/05, दिनांक 08-04-2005 है. जिसमें दिनांक 26-12-2015 को भागीदार (1) श्री हरपाल सिंह यादव, (2) श्री चन्द्रशेखर शर्मा, (3) शांती मोहन अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. इसी दिनांक 26-12-2015 से श्री के. के. सारस्वत पुत्र श्री सी. एल. सारस्वत एवं धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री नबाव सिंह नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 01-01-2007 से भागीदार श्री के. के. सारस्वत अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं इसी दिनांक 01-01-2007 से श्री उदय प्रताप शर्मा पुत्र श्री रामचरन लाल शर्मा फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 03-03-2008 से भागीदार श्री विशम्भर दयाल कटारे, श्री धर्मेन्द्र सिंह, श्री उदय प्रताप शर्मा अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. इसी दिनांक 03-03-2008 से श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री पातीराम शर्मा फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 14-06-2001 से भागीदार (1) श्री दिनेश दीक्षित, (2) श्री विनोद कुमार, (3) श्री भारत सिंह तोमर, (4) श्रीमती जयंती कटारे, (5) श्री राजेन्द्र शर्मा अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 14-06-2011 से श्री चन्द्रशेखर दंडोटिया पुत्र श्री रामस्वरूप दंडोटिया, श्री भारतेन्दु कटारे पुत्र श्री नरेश कटारे फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-नरेश कटारे कॉन्टेक्टर,

**नरेश कटारे,**

(भागीदार)

ग्वालियर.

(189-बी.)

**PUBLIC NOTICE**

I being a person specially authorized by partners in the above mentioned firm M/s Kamal Constructions to give notice in this behalf. hereby give notice that: (a) The constitution of the firm has changed as follows: Mrs. Saroj Kanadi W/o Mr. Mahesh has retired from the firm as on 20-12-2017 & Messrs, Niyanta Buildcon LLP has joined the firm as new partner as on 20-12-2017 (B) From 20-12-2017 the continuing partners of the firm are as follows : (1) Mr. Mahesh S/o Shri Bherulal ji Kanadi (2) Mr. Arjun S/o Shri Mahesh ji Kanadi (3) Messrs. Niyanta Buildcon LLP. I declare that all the above particulars are true to the best of my knowledge and belief as on this date.

M/s Kamal Construction,  
**MAHESH KANADI,**  
(Partner)  
Ujjain.

(191-B.)

**PUBLIC NOTICE**

I being a person specially authorized by partners in the above mentioned firm M/s Mahesh Constructions & Developers to give notice in this behalf., hereby give notice that - (a) The constitution of the firm has changed as follows : Mrs. Saroj Kanadi W/o Mr. Mahesh has retired from the firm as on 01-12-2017 & Mr. Arjun S/o Shri Mahesh Ji Kanadi has joined the firm as new partner as on 01.12.2017 (b) from 01.12.2017 the continuing partners of the firm are as follows : (1) Mr. Mahesh S/o Shri Bherulal Ji Kanadi (2) Mr. Arjun S/o Shri Mahesh Ji Kanadi. I declare that all the above particulars are true to the best of my knowledge and belief as on this date.

M/s Mahesh Constructions & Developers,  
**MAHESH KANADI,**  
(Partner)  
Ujjain.

(192-B.)

**विविध****निविदा सूचनाएं**

भोपाल, दिनांक 06 जून, 2018

**निविदा सूचना**

क्र. जी. बी./दो(42)2018/1524.—उत्तरपुस्तिका के निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार पेपर सहित, पैकिंग परिवहन एवं अन्य प्रति नंग समस्त कर सहित प्रदाय करने के इच्छुक इंडियन बैंक एसोसियेशन (IBA) में गोपनीय कार्य हेतु जीवित पंजीकृत मुद्रक से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 20 जून, 2018 अपरान्ह 12.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

- ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 20 जून, 2018 को अपरान्ह 2.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा.
- किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर उपलब्ध रहेगी.

राजेश कौल,  
नियंत्रक,  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(640)

भोपाल, दिनांक 06 जून, 2018

### ई-निविदा सूचना

शा.के.मु.(विधि-25)2017-18/2142.—आई. टी. डिपार्टमेंट की वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> से उप-नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में स्थापित प्रिंटिंग मशीन क्रमशः प्रिंटवेल-1, प्रिंटवेल-2, मार्क-62, अशोक एवं अजीत की सर्विसिंग प्रदायकर्ता/इच्छुक फर्मों से मुद्रणालय में स्थापित मशीन की रिपेयरिंग हेतु दिनांक 22 जून, 2018 अपरान्ह 01.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार ऑनलाईन दरें आमंत्रित की जाती हैं।

2. निविदा का तकनीकी भाग दिनांक 23 जून, 2018 की अपरान्ह 3:00 बजे एवं ऑनलाईन कॉमर्शियल भाग दिनांक 23 जून, 2018 अपरान्ह 04:00 बजे तक की-डेट्स अनुसार सम्पूर्ण मुद्रणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं।

3. निविदा सूचना की शर्तों का अवलोकन विभाग की वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर देखा जा सकता है।

4. निविदा प्रपत्र राशि रुपये 250.00 (कर अतिरिक्त) प्रोसेसिंग फीस जमा कर [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) से *Online* क्रय किया जा सकता है।

5. सूचना/संशोधन या सुधार की स्थिति में जानकारी आई. टी. की वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> एवं विभाग की वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर उपलब्ध रहेगी।

डी. सी. श्रीनिवासा,  
उप-नियंत्रक,  
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,  
भोपाल.

(641)

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्रकरण क्र.23/बी-113/2017-18.

उज्जैन, दिनांक 21 मई, 2018

#### प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक श्री अशोक भंडारी पिता श्री भेरूलाल भंडारी आदि द्वारा “महावीर इंटरनेशनल चेरीटेबल ट्रस्ट उज्जैन, पता-भवन क्रमांक 4 अरविंद नगर आगररोड उज्जैन”, तह. व जिला उज्जैन, ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951) का 30 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 जून 2018. को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपतियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन, का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 22 जून 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह

के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपतियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जायेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता, सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	:	“महावीर इंटरनेशनल चेरीटेबल ट्रस्ट, उज्जैन,
कार्यालय	:	भवन क्रमांक 4 अरविंद नगर आगर रोड, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	बैंक ऑफ महाराष्ट्र खाता क्रमांक 60243408222 स्टेटमेंट अनुसार रूपए 3,84,787.

(634)

शित्तिज शर्मा,  
पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा जिला हरदा

ओम मिशन न्यास, संतकृटी गुप्तेश्वर मंदिर,  
ग्राम बैरागढ़, तह. व जिला हरदा.

.....आवेदक

### विरुद्ध

सर्व-साधारण,

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक मुख्य न्यासी योगी शिवोहम् द्वारा “ओम मिशन न्यास ” गुप्तेश्वर ग्राम बैरागढ़, तहसील व जिला हरदा के नाम से लोक न्यास का गठन करने हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया है.

सर्व-साधारण के संज्ञान में लाया जाता है कि उक्तानुसार लोक न्यास में यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो वह पेशी दिनांक 13 जून, 2018 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, बाद नियत तिथि के गुजरने के पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन अनुसार न्यास का गठन कर दिया जावेगा.

उद्घोषणा आज दिनांक- 18 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर उपरांत मेरी पदमुद्रा एवं न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया जाता है.

(635)

श्रीकृष्ण (क्षेत्रीय यादव समाज) हरदा द्वारा मुख्य न्यासी/प्रबंधक,  
तह. व जिला हरदा.

.....आवेदक

### विरुद्ध

सर्व-साधारण

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक मुख्य न्यासी क्षेत्रीय यादव समाज हरदा द्वारा सामाजिक प्रस्ताव अनुसार श्री कृष्ण यादव समाज ट्रस्ट हरदा के नाम से लोक न्यास का गठन करने हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया है.

सर्व-साधारण के संज्ञान में लाया जाता है कि उक्तानुसार लोक न्यास में यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो वह पेशी दिनांक 13 जून, 2018 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, बाद नियत तिथि के गुजरने के पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन अनुसार न्यास का गठन कर दिया जावेगा.

उद्घोषणा आज दिनांक- 18 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर उपरांत मेरी पदमुद्रा एवं न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया जाता है.

(636)

जे. पी. सैयाम,  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).



**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, नरसिंहपुर**

नरसिंहपुर, दिनांक 25 मई, 2018

इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003/ब-113/ 2017-18 श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री कपूर चंद जैन, राधाबल्लभ वार्ड तहसील करेली व जिला नरसिंहपुर ने श्री दिगंबर जैन कुंद कुंद कहान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, राधा वल्लभ वार्ड करेली जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है एतद्वारा सूचनापत्र (इशतहार) किया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 04 जून, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार हेतु रख गया है।

अतः मैं, महेश कुमार बमनहा, डिप्टी कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, नरसिंहपुर (अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहपुर) जिला नरसिंहपुर द्वारा न्यायालय में दिनांक 04 जून 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस संबंध में आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 45 दिवस के भीतर दो प्रतियों में अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित में अपने सहप्रमाण सहित में इस सूचना पत्र प्रकाशन की निर्धारित तिथि के पूर्व तक प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों या दावा/सुझाव पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**अनुसूची**

(श्री दिगंबर जैन कुंद कुंद कहान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, राधा वल्लभ वार्ड करेली, जिला नरसिंहपुर)

क्र.	संपत्ति का विवरण	बाजार मूल्य
<b>अचल सम्पत्ति—</b>		
1.	जिल मंदिर तीन मंजिला भवन, प्लॉट न. 348, म.न. 74, राधा बल्लभ वार्ड करेली.	20,00,000 (बीस लाख रुपए)
2.	जिनवाणी मंदिर एवं अतिथि भवन, तीन मंजिल भवन, प्लॉट न. 356, राधा बल्लभ, वार्ड करेली.	30,00,000 (तीस लाख रुपए)
<b>चल सम्पत्ति—</b>		
1.	सोना, चांदी, मूर्तियाँ, पूजन सामग्रियाँ, अलमारी, दानपेटी, वस्त्र, फर्नीचर, शिखरदण्ड-शिखरध्वज, सीडी, कलश, घड़ियाँ, सीसीटीवी केमरा, इलेक्ट्रिक सामान, उपकरण बनवाने हेतु चांदी, माईक सेट, स्पीकर, लेपटॉप, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, स्क्रीन सहित, मूर्तियाँ, छत्र, भोजन सामग्री, भोजनालय सेट, गद्दे, चादर, तकिया, रजाई, पलंग तखत.	63,51,000 (तिरैसठ लाख इक्यावन हजार रुपए मात्र).

(637)

महेश कुमार बमनहा,  
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयकरण अधिकारी, श्योपुर**

श्योपुर, दिनांक 24 मई, 2018

लोक न्यासों के पंजीयक श्योपुर, जिला श्योपुर के समझ।

क्र./05/रीडर-2/2018.—यतः कि आवेदक मुरारीलाल गुप्ता, अध्यक्ष मंदिर श्री रामजानकी एवं श्री राधाकृष्णजी गांधी आश्रम के पास महाविद्यालय के सामने पाली रोड श्योपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक. 25 जून, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समझ उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

**अनुसूची**

लोक न्यास का नाम : मंदिर श्री रामजानकी एवं श्री राधाकृष्णजी गांधी आश्रम के पास महाविद्यालय के सामने पाली रोड श्योपुर है तथा सम्पत्ति कस्बा श्योपुर में गांधी आश्रम के पास मंदिर का 110x100 यानि 1100 वर्गफीट पर निर्मित है तथा यसशाला 30x40 वर्गफीट में यज्ञकुण्ड स्थापित है व 50-80 फुट भूमि खाली बगीचा फूल-पत्ती, तुलसी एवं धार्मिक पेड़ पौधे इत्यादि लगे हुए हैं। मंदिर में भगवान श्री रामजानकी एवं श्री राधाकृष्ण जी के अलावा 10 अवतारों की मूर्तियां एवं श्री हनुमानजी व महाशक्ति अष्टभुजाधारी देवी जी तथा शिव पंचायत सहित मूर्तियां संस्थापित हैं। तहसील कोलारस के ग्राम गोहरी में मंदिर के नाम पर 1.466 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रबंधक कलेक्टर अंकित है।

आर. बी. सिंडोरकर,  
अनुविभागीय दण्डाधिकारी.

(639)

**अन्य सूचनाएं****कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर**

सागर, दिनांक 10/15 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/869.—ग्रामीण मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1128, दिनांक 12 जुलाई, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2018/326, सागर, दिनांक 12 फरवरी, 2018 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र/निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम, के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत ग्रामीण मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1128, दिनांक 12 जुलाई, 2001 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारित विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. आर. कावड़कर,  
उप रजिस्ट्रार.

(638)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जून, 2018-ज्येष्ठ 25, शके 1940

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 03 जनवरी, 2018

- 1. मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
- 2. जुताई.**— जिला श्योपुर, छतरपुर, सागर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, धार, खरगोन, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला में कहीं-कहीं जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. बोनी.**— जिला छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, देवास, अलीराजपुर, खरगोन, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी व बालाघाट में बोनी कार्य कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. फसल स्थिति.**— . .
- 5. कटाई.**— जिला सिवनी में तुअर एवं दमोह, डिण्डोरी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 6. सिंचाई.**— जिला मुरैना, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा व जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 7. पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 8. चारा.**— राज्य के जिला शिवपुरी में चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पशुओं के लिये चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 9. बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 10. खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 03 जनवरी, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) बाजरा तुअर -कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	. . . . . . . . . . . .				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथी, मसूर, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	. . . . . . . . . .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. गोरमी 8. मौ 9. रौन	. . . . . . . . . . . . . . . . . .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मटर-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव	. . . . . . . . . .				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना अधिक. सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर	. . . . . . . . . .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनिया, मसूर सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनिया, मसूर सामान्य.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) अरहर, चना, मटर, राई-सरसों, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) धान, तिल, अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. लवकुश नगर	. .				
10. धुवारा	. .				
11. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . .  (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .				
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी चालू. जुताई कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें कम.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	. .				
2. खुरई	. .				
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी फसल की बोनी कार्य चालू. खरीफ की कटाई चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी, जौ, राई-सरसों, तिवड़ा अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	. .				
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . .  (2) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, अलसी, जौ सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .				
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों-कम. चना, मसूर, अलसी, तुअर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .				
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी की बोनी, कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . . (2) अरहर, राई-सरसों अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. चंदिवा	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों समान. राहर, चना, जौ अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .				
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .				
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4.(1) गेहूँ, मटर कम. चना, मसूर अधिक. राई, सरसों-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..					
3. सिंगौली	..					
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	..					
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4.(1) गेहूँ कम. चना, रावा. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..					
3. सैलाना	..					
4. बाजना	..					
5. ताल	..					
6. रावटी	..					
7. पिपलोदा	..					
8. रतलाम	..					
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4.(1) गेहूँ, चना, मसूर, आलू, प्याज, लहसन सामान्य. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..					
3. तराना	..					
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	..					
6. बड़नगर	..					
7. नागदा	..					
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..			4.(1) .. (2) गेहूँ, चना फसल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..					
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..			4.(1) तुअर, चना-अधिक. गेहूँ, लहसुन प्याज कम. (2) उपरोक्त फसल समान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..					
3. शुजालपुर	..					
4. कालापीपल	..					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	..					
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2.	बोनी कार्य चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4.(1) ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, तिल -अधिक. सेयाबीन, कपास कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..					
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. हाटपिपल्या	..					
7. सतवास	..					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, कपास, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ चना, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		मक्का, कपास, गन्ना कम.		
3. धार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महू	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूँगफली कम.		
3. सेगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		चना अधिक.		
3. राजकोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ कम. चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4.(1) तुअर कम कपास.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. नेपानगर	..				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..		(2) ..		
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) गेहूँ चना समान.		
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैराढ	..		(2) गेहूँ चना, तिवड़ा, मटर सामान्य.		
3. हुजूर	..				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) तुअर, गेहूँ-कम. गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		मसूर, चना अधिक.		
3. इच्छावर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. नसरूल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		लाख, अलसी, राई-सरसों,		
4. गोहरगंज	. .		सामान्य.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) गेहूँ, तुअर-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		चना, मटर, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		गन्ना अधिक.		
4. इटारसी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		चना अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गेहूँ चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		मसूर, कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .		मटर अधिक.		
4. पाटन	. .		(2) गेहूँ, सुधरी शेष फसलें		
5. मझौली	. .		बिगड़ी हुई.		
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) तुअर, गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .		चना, मसूर, राई-सरसों,		
4. बड़वारा	. .		सुधरी.		
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य प्रारंभ. बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) तुअर, मूंग कम. गन्ना समान. सोयाबीन, धान, उड़द अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .				
2. गोटेगांव	. .				
3. करेली	. .				
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	. .				
2. नैनपुर	. .				
3. बिछिया	. .				
4. निवास	. .				
5. नारायणगंज	. .				
6. घुघरी	. .				
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ की काटाई, कार्य चालू	3. . . 4.(1) . . (2) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .				
2. शाहपुरा	. .				
3. बजाग	. .				
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .				
2. तामिया	. .				
3. परासिया	. .				
4. जुन्नारदेव (जामई)	. .				
5. सांसर	. .				
6. बिछुआ	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. उमरेठ	. .				
10. मोहखेड	. .				
11. हरई	. .				
12. चांद	. .				
13. पाहुणा	. .				
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू. तुअर की कटाई चालू	3. . . 4. (1) धान, मक्का, कोदों, उड़द, तिल, रामतिल, अम्बाड़ी कम. ज्वार, समा, तुअर, सोया. अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .				
2. बरघाट	. .				
3. कुरई	. .				
4. कवलारी	. .				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .				
7. घनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) धान सामान्य. (2) धान सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .				
2. लाँजी	. .				
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्गा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलाँजी	. .				

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.